HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 754/2026
URN: CFA / 1155U / 2026

Dr Rohitasw Yadav S/o Shri Shivprasad Yadav, S/o Shri Nathuram Yadav,

----Appellant/Plaintiff

Versus

Manju and Anr.

----Respondents/Defendants

For Appellant(s) : Mr. Manish K. Sharma
For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

09/07/2026

अपीलार्थी/वादी के विद्वान अभिभाषक का कथन है कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी संख्या 1 विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित था तथा उसमें एकतरफा कार्यवाही की गई थी। अपीलार्थी/वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष बयान लेखबद्ध कराए गए और दस्तावेज प्रदर्शित कराए गए, जिसका खंडन नहीं होते हुए भी बिना किसी न्यायसंगत उचित आधार के विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/वादी का वाद अस्वीकार कर खारिज कर दिया। विद्वान न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 2, बहरोड़ जिला अलवर ने डॉ. रोहताश्व यादव बनाम मंजू व अन्य में प्रार्थना पत्र संख्या 79/2014 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता में अपीलार्थी/वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की गई थी। ऐसी स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 2331/2026 स्वीकार किया जावे।

सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अतः समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थी/प्रतिवादी संख्या 1 खसरा नंबर 486 रकबा 88 एयर, 491 रकबा 90 एयर, 447 रकबा 1.04 हैक्टर बारानी वाके ग्राम बर्डोद तहसील बहरोड के 4/5 भाग में से 1/2 भाग को प्रकरण की आगामी तिथि तक किसी तृतीय पक्ष के अधिकार उत्पन्न करने के उद्देश्य से किसी भी तरह से तीसरे पक्ष को

बेचान/अंतरण, रहन नहीं करेंगे। उक्त आदेश प्रत्यर्थीगण पर नोटिस तामील होने के पश्चात प्रभावी होगा। यह स्थगन आदेश मात्र आगामी पेशी तक है और प्रत्यर्थीगण के उपस्थित होने पर दोनों पक्षों को सुनकर स्थगन प्रार्थना पत्र पर नए सिरे से आदेश पारित किया जाएगा।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि पी.एफ. व नोटिस प्रस्तुत होने पर प्रत्यर्थीगण को नियमानुसार नोटिस जारी किए जावें तथा प्रकरण से संबंधित अभिलेख भी तलब करे।

प्रकरण चार सप्ताह पश्चात पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI/23